न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।, हिलसा (नालन्दा)

अग्रिम जमानत आवेदन सं–446/2026

संटु उर्फ नाटा एवं मंटु उर्फ फुटुश बनाम बिहार राज्य

10.06.2026 आवेदक/अभियुक्तगण **1. संटु उर्फ नाटा एवं 2. मंटु उर्फ फुटुश दोनों पे0 सुरेन्द्र प्रसाद,** जो थरथरी थाना काण्ड सं–133/2025 (अन्तर्गत धारा–331(4),305 बी0एन0एस0) में अभियुक्त है, की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मवीर कुमार द्वारा प्रचालित किया गया। इस जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु मांगी गई मूल अभिलेख एवं वाद दैनिकी प्राप्त है।

2. आवेदक/अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की ओर से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक मंटु उर्फ फुटुश के विरूद्ध इस केस के अलावे तीन अन्य मुकदमा दर्ज है, जिसमें जमानत पर है तथा आवेदक संटु उर्फ नाटा का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण निर्दोष है, जिन्हें गलत अभियोग के आधार पर इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण प्राथमिकी के नामित अभियुक्त नहीं है, बल्कि सह अभियुक्त राजेश यादव उर्फ राजेश कुमार के स्वीकारोक्ति बयान में दुश्मनी के कारण झूठा नाम बताया गया है। आवेदकगण के पास से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है और मुख्य अभियुक्त राजेश यादव उर्फ राजेश कुमार को बी0पी0 नं0–72/2026 से जमानत दिया गया है। इन तर्को के आलोक में आवेदक/अभियुक्तों को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

3. विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

4. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् अभिलेख आज आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद में धारा–331(4), 305 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यद्यपि इस संदर्भ में इस वाद के अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 16.09.2025 को रात्रि 12 बजे इस वाद के अभियुक्तों द्वारा सूचिका सीता देवी के घर में घुसकर वर्तन, जितिया, कान की वाली, मंगलसूत्र एवं नकद 25000रू0 चोरी कर लिये, किन्तु इस वाद में अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है एवं अभी तक अनुसंधान के क्रम में आवेदक अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का कोई सामान बरामद नहीं किया गया है एवं आवेदक अभियुक्तों का नाम सह अभियुक्त के दोष स्वीकारोक्ति कथन में आया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तों को 10000रू0 एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं तथा धारा–482(2) बी.एन.एस.एस. के विहित शर्तो के साथ आदेश की तिथि से 28 दिनों के अन्दर विद्वान निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने पर जमानत बन्धपत्र दाखिल किये जाने पर विद्वान निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। (लेखापित)

Pandey

(आलोक कुमार पाण्डेय–1)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।, हिलसा